बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना-800 001

(पंजीयन सं०-633/2003)

E-mail : basa_bihar@yahoo.com

पत्रांक : 121

दिनांक 10/9/2008

अध्यक्ष
अरूण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार, पटना।

विषयः-बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों पर निगरानी विभाग द्वारा अनुचित रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी श्री अमानुल्लाह सम्प्रति अपरसमाहर्त्ता, सिवान, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी, श्री रजनीकांत, सम्प्रति अंचल अधिकारी, अनरूआ (पटना) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पन्डौल (मधुबनी) तथा श्री गुफरान अहमद, सम्प्रति कार्यपालक दंडाधिकारी, (मोतीहारी) तत्कालीन जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, मधुबनी के विरूद्ध निगरानी विभाग द्वारा जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत लालकार्ड एवं खादय वितरण में अनियमितता के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

पूर्व में इस मामले के निष्पादन के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा संचिका पर यह आदेश दिया गया है कि इस संपूर्ण प्रकरण में प्रशासनिक चूक एवं आपराधिक कृत्यों को अलग-अलग चिन्हित किया जाय तथा प्रशासनिक चूक के लिए प्रशासनिक कार्रवाई एवं आपराधिक कृत्य के लिए प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाय। उपरोक्त पदाधिकारियों से विभाग द्वारा इस विषय पर स्पष्टीकरण की माँग की गयी तथा स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त इसे संतोषप्रद पाते हुये श्री अमानुल्लाह एवं श्री रजनीकांत को आरोप मुक्त करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया, जो क्रमशः आयुक्त एवं सचिव, खादय एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक 159/गो0 दिनांक 16.05.07 तथा 161/गो0 दिनांक 16.05.07 से संसूचित है। (प्रतिलिपि संलग्न) स्पष्ट है कि दोनों पदाधिकारियों के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को विभाग द्वारा आपराधिक कृत्य नहीं माना गया है तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से विचार कर दोनों पदाधिकारियों को आरोप मुक्त किया गया है।

साथ ही श्री गुफरान अहमद के विरूद्ध भी अधिक से अधिक प्रशासनिक त्रुटि का मामला ही विचारणीय हो सकता है, न कि प्राथमिकी दर्ज करने का। इसके लिए विभागीय कार्रवाई ही प्रर्याप्त होगी।

उल्लेखनीय है कि गृह विभाग के पत्रांक 5211 दिनांक 09 जून 2008 के द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया है कि सरकारी दायित्वों के कार्यान्वयन के क्रम में यदि कोई ऐसा मामला बनता है जिसमें प्राथमिकी दर्ज करना आवश्यक है तो ऐसी अवस्था में संबंधित विभाग के प्रधान से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राथमिकी दर्ज की जायेगी। परन्तु निगरानी विभाग के द्वारा की गयी कार्रवाई से स्पष्ट है कि गृह विभाग से निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है।

इस मामले में श्री अमानुल्लाह एवं श्री रजनीकांत द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अपर महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को पत्र दिया गया हे जिसकी प्रतिलिपि संलग्न करते हुए भवदीय से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित पदाधिकारियों पर दर्ज करायी गयी प्राथमिकी के कार्यान्वयन पर अविलम्ब रोक लगाने तथा उन्हें प्राथमिकी से मुक्त करने हेतु आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
E-mail : basa_bihar@yahoo.com

दिनांक ....

पत्रांक :...................................

अध्यक्ष
अरुण चन्द्र मिश्र
(M) 9835281295
(M) 9939469410
(R) 0612-2526123

उपाध्यक्ष
* शम्भु नाथ मिश्र
(M) 9431619672
(O) 9334387630
(F) 0612-2504498
(R) 0612-2288139

* अखलाक अहमद
(M) 9934280177
(O) 0612-2219693

महासचिव
सुशील कुमार
(M) 9431091417
(O) 9431818484

संयुक्त सचिव
* राजयनन्द बडियार
(M) 9431093157
(O) 9431818010

* अनिल कुमार
(M) 9431409463

कोषाध्यक्ष
चन्द्र शेखर सिंह
(M) 9334131351

संयुक्त कोषाध्यक्ष
सोमेश बहादुर माथुर
(M) 9431407901
(O) 9334387555

साथ ही गृह विभाग के निदेश पत्रांक 5211 दिनांक 09 जून 2008 का उल्लंघन कर बिना संबंधित विभागाध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त किये ही प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई करने हेतु निदेश देने की कृपा की जाय ताकि बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का मनोबल बना रहे तथा वे निर्भिक होकर अपनी पूर्ण शक्ति एवं सामर्थ्य के साथ अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन कर सके।

विश्वासभाजन

अनु0– यथोक्त

Sushil 10/9/08
(सुशील कुमार)
महासचिव,

ज्ञापांकः– 121 दिनांकः– 10/9/2008

प्रतिलिपिः–1. प्रधान सचिव, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्रधान सचिव, निगरानी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sushil 10/9/08
(सुशील कुमार)
महासचिव,

ज्ञापांकः– 121 दिनांकः– 10/9/2008

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

Sushil 10/9/08
(सुशील कुमार)
महासचिव,